

अधिसूचना ।

पटना, दिनांक _____/सत्र 1927-28- वृत्ति, बिहार राज्यपाल के विचार में भारतीय वन अधिनियम 1927 अधिनियम संख्या X/1, 1927 के धारा 13 के अधीन अपेक्षा जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकार हस्त में पड़ जायेंगे ।

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम में पूर्वोक्त उप धारा के परन्तुक और धारा 29 में उप धारा 13 द्वारा प्रस्तुत शर्तों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल घोषणा करते हैं कि ऐसी जांच करने एवं अभिलेख तैयार करने तक इतने उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के संबंध में, चाहे उसमें कोई वृक्ष हो अथवा नहीं, उक्त अधिनियम के अध्याय 1/1 के उपबंध लागू होंगे, जहाँ कि पेट्टक विभाग के

न मान्य एवं जांच कार्य-आपने जैसे सम्पत्ति, सहको के बौद्धिकरण के स्वीकृति पर तथा स्थितान अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

अनुसूची

पथ का नाम	अपेक्षा होना चाहिए	सो मान	जिसे का नाम
1	2	3	4
1- हाजीपुर-उपरा-सोवान- गुठनी	155.70	भूमि पर सड़क के दोनों ओर पत्थर/बाई स सो मानित	सोवान/भारण वैशाली
2- हाजीपुर-मुजफ्फर- भूपुरा-समस्तीपुर-दरभंगा	109.52	-वडी-	वैशाली/समस्तीपुर दरभंगा
3- हाजीपुर-मडनार-मोडिनी नगर, उवाड़ा	74.40	-वडी-	वैशाली/समस्तीपुर
4- उपरा-मोडिनी-दरभंगा-गुठनी	84.4	-वडी-	भारण/सोवान
5- उपरा-सोमान	79.90	-वडी-	भारण/सोवान गोपालगंज
6- उपरा-रेवाघाट-उपरा- मुजफ्फरपुर	80.0	-वडी-	भारण/मुजफ्फरपुर

Ena

- 8

1	2	3	4	5	6
104-	मोरमठ-अदिवा	17.2	-वडो-	धिपुरा	
105-	कुपौल-ममठरिया-सिंहेवर	15.0	-वडो-	कुपौल/ममठरिया	
106-	मिमानमठ-मिडारोमज	9.0	-वडो-	धिपुरा	
107-	अदुरा-भरभाभा	8.0	-वडो-	अररिया	
108-	हृद अररा-सतमोदरिया	8.4	-वडो-	अररिया	
109-	मुतापुर-वार्तरनगर	12.0	-वडो-	मस्तोपुर	

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नरेन्द्र पाल सिंह

आयुक्त एवं सचिव ।

वन एवं पर्यावरण विभाग

अधोः

अधिसूचना

पटना 15, दिनांक

1994 ई० ।

एसओ

एसओ

दिनांक

का

अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348/353 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

सचिव का सं०-वन पर्यावरण 97/91

प्रेषण संख्या :-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नरेन्द्र पाल सिंह

आयुक्त एवं सचिव ।

वन एवं पर्यावरण विभाग

आपांक वन पर्यावरण पर्यावरण 97/91-

/वपप पटना 15,

दिनांक -2-1994-

निर्देश

प्रतिनिधि- अधोः, सचिवालय एवं सुदृष्टालय सुलभारभाग पटना को इसे

बिहार राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2- अधोः से अनुरोध है कि सुदृष्ट राजपत्र को 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ स्वयं वन एवं पर्यावरण विभाग को भेजने का कष्ट करें ।

नरेन्द्र पाल सिंह

आयुक्त एवं सचिव ।